International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN:2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 03(II), July-September, 2026, pp. 68-75

मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष नक्सलवाद की चुनौतीः एक अध्ययन

इंद्रलाल पटेल[1*] | डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह[2]

[1]शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.), शोध केन्द्र–पं. मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
[2]पर्यवेक्षक, प्रभारी प्राचार्य/सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।

[*]Corresponding Author: indralalpatel2013@gmail.com

Citation: पटेल, इंद्रलाल एवं सिंह, पुष्पेन्द्र (2026). मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष नक्सलवाद की चुनौतीः एक अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(03(II)), 68–75. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.3(II).9357

सार

नक्सली संगठन बंदूक के नोक पर सत्ता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन को माध्यम बनाकर इनके द्वारा शासकीय तंत्र में अविश्वास पैदा किया जाता है। आतंक व हिंसा इनके प्रमुख हथियार हैं, इस कार्य हेतु संगठन के सदस्यों को कार्यक्षेत्र बांटा जाता है व जिस क्षेत्र का नेतृत्व जिस संगठन को सौंपा जाता है उसी क्षेत्र के नाम पर दलम का नामकरण इनके द्वारा किया जाता है। दलम के कार्य का समन्वय डिवीजनल व सेन्ट्रल कमेटी के द्वारा किया जाता है।

शब्दकोशः *नक्सलवाद, नक्सली संगठन, आर्थिक पिछड़ापन, दलम, डिवीजनल व सेन्ट्रल कमेटी।*

प्रस्तावना

नक्सलवाद की चुनौती

वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी ग्राम में पुलिस व नक्सलवादियों के बीच पहली मुठभेड़ से यह शब्द प्रचलन में आया। इनका कथित उद्देश्य जन संघर्ष के द्वारा वर्ग विहीन समाज स्थापना करना है।

नक्सली बनने के प्रमुख कारण

नक्सल बनना एक आसान कार्य नहीं है मजबूरियों के कारण जो कई प्रकार की मजबूरियां होने के कारण इस ओर कदम बढ़ाते हैं जैसे–

- विचारधारा – नक्सली एक प्रकार विचारधारा है जो कि माववादी के विचारधारा को प्रभावित और अपनी जल, जंगल, जमीन को बचाने का विचारधारा और अपनी स्वयं की सरकार चलाने की विचारधारा जुड़ी हुई है।
- गरीबी और निर्धनता – नक्सलियों के पास भोजन, पानी, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। आय के साधन सीमित होने के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है।

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

- बेरोजगारी योग्यता – के अनुसार रोजगार न मिलने से युवाओं का भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। रोजगार की तलाश में नक्सली इलाकों से शहरी पलायन करना भी चाहते है लेकिन हो नहीं पा रहा है गरीबी एक बाधा है और सरकार भी जितना चाहिये उतना व्यवस्था नहीं कर पा रही है।
- आर्थिक असमानता – समाज के कुछ ही लोगों के पास धन और संसाधनों का केन्द्र होता जा रहा है, जबकि बहुसंख्यक आबादी संघर्ष करती है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती यह खाई सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। नक्सलियों का अमीरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं देखने को मिलता है और ये नक्सली इनके सब के विरोध में होता जा रहा है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य – नक्सलियों को सेवाओं की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी पहुँच न होने से मानव संसाधन का विकास रुक जाता है। महँगी शिक्षा और निजी अस्पतालों के अनियंत्रित विस्तार से गरीब वर्ग और अधिक कर्ज के जाल में फंस जाता है। नक्सली लोग चाहते हैं कि उनके सभी प्रकार सुविधायें प्राप्त हो लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही पुलिस के समक्ष बाद में चुनौतियाँ बनते है।
- नक्सली राजनीति का शिकार – नक्सली राजनीतियों का शिकार होते जा रहे है क्षेत्रीय नेता उनको सही जानकारी और लोकतंत्र की पूरी जानकारी उन तक पहुंचने नहीं देते और उनको गुमराह करके अपने रोटी सेकते भी नजर आते हैं और इन गरीब नक्सलियों का शिकार करते हैं और बेचारें पुलिस के साथ मुटभेड़ में मारे तक जाते हैं।

मध्य प्रदेश में नक्सलवाद

आंध्र प्रदेश के 08 जिले, महाराष्ट्र के भण्डारा, गढ़चिरौली व चंद्रपुर, उड़ीसा का कोरापुट, छत्तीसगढ़ के बस्तर, दन्तेवाड़ा एवं राजनांदगांव तथा मध्य प्रदेश के बालाघाटए मण्डला जिलों को मिलाकर श्दण्डकारण्य राज्यद्धदश्श की स्थापना के लक्ष्य के लिए सर्वप्रथम सन् 1972 में अविभाजित मध्य प्रदेश के जिला बस्तर के भोपालपटनम क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां परिलक्षित हुईं। जिला बालाघाट में नक्सली गतिविधियों वर्ष 1990 से देखी जा रही हैं।

मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व (वर्ष 1990 से नवंबर–2000 तक) प्रदेश का जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा, बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी एवं सरगुजा नक्सली गतिविधियों से प्रभावित थे। इन जिलों में पीपुल्सवार ग्रुप के लगभग 20 नक्सली दलम सक्रिय थे। उक्त अवधि में नक्सलियों द्वारा हत्याए हत्या का प्रयासए डकैती, लूट, आगजनी, मारपीट आदि की लगभग 1250 घटनायें घटित की गई थी जिनमें 125 पुलिस कर्मी, 11 शासकीय कर्मी एवं 156 आम नागरिक मारे गये। उक्त अवधि में पुलिस द्वारा 148 बार नक्सलियों से मुठभेड़ ली गई जिसमें 42 नक्सलियों को मार गिरानेए 270 नक्सलियों को गिरफ्तार करने एवं 98 नक्सलियों को आत्मसर्मण कराने में सफलता प्राप्त की।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में मध्य प्रदेश के 9 जिले बालाघाटए मण्डला, डिण्डोरी, सीधी, सिंगरौलीए उमरिया, अनूपपुर, शहडोल एवं सिवनी नक्सल गतिविधियों से प्रभावित हैं। जिला बालाघाट नक्सलियों के द्वारा बनाये गये उत्तर गढ़चिरौली–गोंदिया–बालाघाट डिवीजन के अंतर्गत आता है व अत्यधिक नक्सल प्रभावित है। इस डिवीजन में कुल 5 एरिया कमेटियां तथा उनके अंतर्गत 9 दलम शामिल हैंए जिसमें जिला बालाघाट में (1) मलाजखंड दलम (2) टांडा दलम (3) परसवाड़ा तथा (4) लोकल गुरिल्ला स्कॉड सक्रिय हैं। सींधी और सिंगरौली जिले में छत्तीसगढ़ व झारखंड में सकिय नक्सलियों की गतिविधियाँ परिलक्षित होती रहती हैं।

जिला बालाघाट म.प्र. के महाराष्ट्र प्रांत से लगा हुआ जिला है, जिसके जिले भण्डाराए गोंदिया एवं गढ़चिरौली अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जिला राजनान्दगांव बालाघाट जिले से लगा हुआ है तथा यह भी अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिला है।

इसी प्रकार जिला सिंगरौली छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर एवं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र, मिर्जापुर से लगा हुआ है, जो नक्सली गतिविधियों से प्रभावित हैं। सिंगरौली जिले में भी नक्सली अपराध की घटनायें घटित हुई हैं तथा नक्सली गतितिधियों की सूचनायें प्राप्त होती रहती हैं।

प्रदेश के अन्य जिले मण्डला, डिण्डोरी, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं सिवनी महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के उन जिलों के सीमावर्ती है, जो अत्यधिक नक्सली प्रभावित हैं। इन सीमावर्ती राज्यों से इन जिलों में नक्सलियों की आवाजाही की आशंका निरंतर बनी रहती है।

पुलिस के समक्ष नक्सलवाद की चुनौतियाँ

- **भौगोलिक स्थिति**

भौगोलिक स्थिति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जहाँ पहुँचना, रहना या विकास कार्य करना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। मुख्य विशेषताएं कठिन भूभाग, ऊँचे पहाड़, गहरे जंगल, मरुस्थल, कटीली झाड़ी, अनेक प्रकार के जानवर या बर्फीले इलाके। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सड़क, बिजली, खाना–पानी और अस्पताल जैसी चीजों की कमी। अलगाव, मुख्य शहरों या बस्तियों से कट जाना। प्रभाव और चुनौतियाँ विकास में बाधा, ऐसे क्षेत्रों में परिवहन और संचार के साधन आसानी से नहीं पहुँच पाते। सुरक्षा और आपदा, प्राकृतिक आपदाओं (जैसे भूस्खलन और अत्यधिक बाढ़) के समय राहत कार्य अत्यधिक धीमे होते हैं। रणनीतिक महत्व, सैन्य दृष्टि से ऐसे इलाके प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को अत्यधिक जटिल बना देते हैं।

- **आवागमन की कठिनाई**

आवागमन की कठिनाई मुख्य रूप से खराब सड़कों, अतिक्रमण, यातायात जाम और लंबे सफर के कारण उत्पन्न होती है, जो आम जनजीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मुख्य कारण खराब सड़कें और टूटी हुई सड़कें और जलभराव के कारण पैदल चलना और वाहन चलाना दोनो कार्य कठिन हो जाते हैं। अतिक्रमण और जाम, सड़कों के किनारे अवैध कब्जे से रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है। लंबा सफर और तनाव, रोजमर्रा के कठिन सफर से मानसिक तनाव, थकान और स्वास्थ्य समस्याएं जन्म देती हैं। प्रभाव दैनिक कार्य, बच्चों की पढ़ाई और आपातकालीन सुविधाएं प्रभावित होती हैं। किसानों और व्यापारियों को माल ढुलाई में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

- **संचार व्यवस्था की चुनौती**

संचार व्यवस्था की चुनौती से तात्पर्य बातचीत, सूचना के आदान–प्रदान या संदेश भेजने में आने वाली उन बाधाओं से है जो स्पष्ट संवाद को बाधित करती हैं। मुख्य संचार समस्याएं स्पष्टता की कमी, संदेश का अधूरा या अस्पष्ट होना, जिससे सुनने वाले को गलतफहमी होती है। सूचनाओं का अत्यधिक बोझ एक साथ बहुत अधिक जानकारी मिलना, जिससे जरूरी बात छूट जाती हैं। भाषा और शब्दावली की बाधा में कठिन तकनीकी शब्दों या अलग–अलग भाषाओं का उपयोग। असावधानी और खराब श्रवण कौशल, सामने वाले की बात को पूरा सुने बिना ही अपनी राय बना लेना। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं, गुस्से, डर या नकारात्मक सोच के साथ संवाद करना। समाधान के उपाय ध्यान से सुनना, पहले दूसरे व्यक्ति की बात को पूरा सुनें और समझें। सरल भाषा का प्रयोग, कठिन शब्दों से बचकर स्पष्ट और सीधी भाषा बोलें। पुष्टि करना संदेश सही सलामत और सही अर्थ में पहुंचा या नहीं, इसकी जांच करना यह भी पुलिस की चुनौती है।

- **अपराधियों के ठहरने के लिए पड़ोसी राज्य का सह**

अपराधियों के ठहरने एवं रूकने के लिए पड़ोसी राज्यों, सुनसान इलाकों और अंतर–राज्यीय सीमाओं के पार के ठिकाने सबसे अधिक संभावित माने जाते हैं। पड़ोसी राज्य अपराधियों का सह देना या ठहरने के लिए व्यवस्था कर देना पड़ोसी राज्य और सीमावर्ती क्षेत्र में से पुलिस को अपराधी पुलिस कार्रवाई से बचने के

लिए अक्सर दूसरे राज्यों के ऐसे जिलों में ठहर जाते हैं जहाँ अंतर–राज्यीय सीमा का लाभ मिलता है (जैसे मध्य प्रदेश के अपराधियों का उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जाना)। परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ भी भगोड़े अक्सर अपने किसी दूर के रिश्तेदारी, पुराने सहयोगी या परिचय वालों के घर शरण लेते हैं। प्राकृतिक और सुनसान स्थान में घंघोर जंगल, वीरान इलाके या ग्रामीण क्षेत्रों के सुनसान ठिकाने। बचने और पहचान के नए तरीके पुलिस अब अपराधियों की तेजी से पहचान के लिए आधुनिक तकनीकों और डेटाबेस जैसे National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) का उपयोग कर रही है। पुलिस इस चुनौती का सामना करने में धीरे–धीरे समक्ष तो हो रही है लेकिन जितना चाहिये उतना अभी भी सफल नहीं हो सकी और चुनौती बनी हुई है।

- **सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग**

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग (Coordination in Border Areas) राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यकता वर्तमान में है। सीमावर्ती सहयोग के प्रमुख आयाम सुरक्षा और (Security & Surveillance): पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह सीमा पार अपराधों, घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियों की जानकारियां साझा करते हैं। सीमा पर गश्त बढ़ाने और विवादों से निपटने के लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन मैपिंग, सेटलाईट और स्मार्ट फेंसिंग आदि का उपयोग किया जाता है। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी (Infrastructure & Connectivity): सामरिक और आवागमन की सुगमता के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, रेलवे नेटवर्क और पुलों का निर्माण किया जाता है। भारत में सीमा सड़क संगठन (BRO) दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में सड़क अवसंरचना का विकास करता है। विकास कार्यक्रम सीमावर्ती इलाकों के संतुलित विकास और स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। संस्थागत संवाद समय–समय पर द्विपक्षीय बैठकें माध्यम सीमा स्तंभों के रखरखाव, अतिक्रमण हटाने और आपसी व्यापार को सुगम बनाने पर सहमति बनाई जाती है पुलिस और सीमावर्ती अपराधी दोनों इन साधनों का वर्तमान में उपयोग उपभोग करते हैं इसलिए पुलिस के समक्ष भी चुनौती का कारण बनता है।

डिजिटल युग में विश्वसनीय सूचना

वर्तमान समय में डिजिटल युग में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना एक बड़ी कठिनाई बनी है, जिसके मुख्य कारण सोशल मीडिया पर फैलती फर्जी खबरें, भ्रामक जानकारी और आधिकारिक स्तर पर पारदर्शिता की कमी हैं। मुख्य चुनौतियाँ सोशल मीडिया और त्वरित प्रसार सोशल मीडिया के कारण बिना जांचे–परखे खबरें सेकंडों में वायरल हो जाती हैं, जिससे सही और गलत की पहचान करना अत्यधिक समस्या हो जाती है। फर्जी और भ्रामक खबरें गलत सूचनाएं अक्सर आधे सच या मनगढ़ंत विवरणों के साथ इस तरह पेश की जाती हैं कि वे बिल्कुल असली प्रतीत होती हैं। प्रशासनिक और संस्थागत के कमी में सरकारी विभागों में अभिलेखों के संरक्षण की कमजोर व्यवस्था और सूचना आयोगों में कर्मचारी व संसाधनों का अभाव होने के कारण कई बार समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती है। पक्षपातपूर्ण स्रोत में अधिकांश सूचना स्रोतों में किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह या निहित स्वार्थ की आशंका बनी रहती है। सत्य सूचना की पहचान कैसे करें? स्रोत की जाँच करें, हमेशा आधिकारिक साइडों, वेबसाइटों, चर्चित समाचार पत्रों या प्रेस संवाददाता जैसे प्रमाणित माध्यमों पर भरोसा करें। तथ्यों का मिलान करें, एक ही खबर को अलग–अलग भरोसेमंद स्रोतों से सत्यापित करें। लेखक और संदर्भ में जानकारी किस संदर्भ में दी गई है और क्या लेखक या प्रकाशक निष्पक्षता का दावा करते हैं। सूचना का अधिकार सरकारी मामलों में सटीक और कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उपयोग एक बेहतरीन माध्यम बना रहता है पुलिस के साथ नक्सवादी भी इन सूचनाओं का प्रयोग कर व्यवधान पैदा करते हैं। पुलिस को व्यवस्थित करने और लागू करने में अनेक प्रकार की कठिनाईयों एवं चुनौतियों का सामना भी करती है।

- **पुलिस को नक्सलियों से सुरक्षा की चुनौतियाँ**

नक्सलियों द्वारा कानून का पालन भी नहीं करते हैं जिससे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस सुरक्षा के मुख्य कर्तव्य, पुलिस का मुख्य काम जनता की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाएं रखना है। चुनौतियाँ, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को कई तरह के खतरों और तनाव का सामना करना पड़ता है। कल्याण अधिकारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के लिए निरंतर सहायता जरूरी है। पुलिस और नक्सलियों के बीच चुनौती का सामना करते हुये आम जनता की सहायता में अपना योगदान देती रहती है।

- **पुलिस और नक्सली दोनों का नागरिकों पर विश्वास**

पुलिस और नक्सली दोनों का नागरिकों पर विश्वास प्राप्त कर लेते हैं नक्सली भी आम नागरिकों को तंग और परेशान नहीं करते हैं वो पुलिस प्रशासन और सरकार को अपना दुश्मन मानते हैं। पुलिस ग्रामीण का विश्वास प्राप्त करने के लिए पारदर्शी प्रशासन, सीधा संवाद और बुनियादी सुविधाओं का समय पर विकास करके आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और विश्वास प्राप्त करती हैं। मुख्य उपाय पारदर्शिता और ईमानदारी योजनाओं के बजट और कार्यों की जानकारी खुले तौर पर सहयोग करके अपनी बात बनाती है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। सीधी बात गांवों में लगातार शिविर लगाकर आम जनों की समस्याएं सुनें और उनको मौका दें और समाधान करें। बुनियादी जरूरतें सड़क, पानी, बिजली, खेल, आयाम, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाकर सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी पक्षपात के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। सशक्त पंचायती राज में स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को और अधिक सक्षम व जवाबदेह बनाते हुये विश्वास को प्राप्त करके नक्सलियों के चंगुल से बचाया जा सकता है और पुलिस इस चुनौती को चुनौती का समाधान कर सकती है। लेकिन यह अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

'नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य' मामला है

इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा समर्थित नक्सल विरोधी नागरिक सेना (मलेशिया) 'सलवा जुडूम' (Salwa Judum) को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया था। यह फैसला जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस. एस. निज्जर की पीठ ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु और निर्देश निजी हाथों में कानून व्यवस्था देने पर रोक कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी सुरक्षा और कानून–व्यवस्था बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी को किसी निजी मिलिशिया या नागरिकों के समूह को नहीं सौंप सकता (Outsource नहीं कर सकता)। विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की नियुक्ति अवैधरू छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी युवाओं को 'विशेष पुलिस अधिकारी' (SPOs या कोया कमांडो) बनाकर नक्सल विरोधी अभियानों में इस्तेमाल करना अवैध ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि कम पढ़े–लिखे युवाओं को मामूली ट्रेनिंग देकर खतरनाक हथियारों के साथ नक्सलियों के सामने खड़ा करना उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सलवा जुडूम की गतिविधियां संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का सीधा उल्लंघन करती हैं। हथियार वापस लेने का आदेशरू अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि वे सलवा जुडूम के तहत नागरिकों और ैच्चे को दिए गए सभी हथियार, गोला–बारूद और फंड तुरंत वापस लें। पुनर्वास और सुरक्षा में कोर्ट ने राज्य सरकार को उन सभी लोगों के पुनर्वास और सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश दिए जो नक्सली हिंसा या इस नागरिक संघर्ष के कारण विस्थापित हुए थे।

शोध पद्धति

यह अध्ययन मुख्य रूप से सेकेंडरी स्रोतों पर आधारित है। इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, BPR-D का डेटा, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के दस्तावेज़, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसले, विधानसभा के रिकॉर्ड और समकालीन समाचार विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया है। यह अध्ययन गुणात्मक

और विश्लेषणात्मक पद्धति का पालन करता है। प्राथमिक फ़ील्ड सर्वे का न होना इस अध्ययन की एक सीमा है; हालाँकि, सेकेंडरी स्रोतों से पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

मानव संसाधन की भारी कमी

मध्य प्रदेश में पुलिस–जनसंख्या अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर लगभग 138 पुलिसकर्मी हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 38 पुलिसकर्मी हैं, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। लगभग 20,000 स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। यह कमी ग्रामीण इलाकों में और भी गंभीर है, जहाँ कई पुलिस स्टेशन और चौकियाँ स्वीकृत संख्या के आधे से भी कम कर्मचारियों के साथ काम कर रही हैं। नतीजतन, गश्त, त्वरित कार्रवाई और अपराध–रोकथाम की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ता है। जब एक ही कर्मचारी कानून–व्यवस्था और जांच–पड़ताल, दोनों जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो जांच की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। वीआईपी सुरक्षा और अन्य गैर–मुख्य कार्यों के लिए बल की तैनाती इस कमी को और बढ़ा देती है।

मानव संसाधन की कमी का सीधा असर अपराध रोकने पर पड़ता है। जब पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं होता, तो एहतियाती गश्त कम हो जाती है, जिससे संभावित अपराधियों में डर कम हो जाता है। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रमोशन में असंतुलन इस समस्या को और बढ़ा देते हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता की कमी

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे, जिनमें निश्चित कार्यकाल, एक स्वतंत्र पुलिस स्थापना बोर्ड और राज्य सुरक्षा आयोग शामिल थे। हालाँकि, मध्य प्रदेश में इन निर्देशों का पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू होना अभी बाकी है।

राजनीतिक दबाव के कारण संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। पोस्टिंग और ट्रांसफर में राजनीतिक सिफारिशों का असर पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिराता है और संस्थागत निष्पक्षता को प्रभावित करता है। जब अधिकारियों को लगता है कि उनके कार्यों के राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, तो वे अपराध रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के बजाय बचाव का रवैया अपनाते हैं।

प्रक्रियात्मक कमियां एवं जांच की गुणवत्ता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने के बाद, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने, तलाशी और ज़ब्ती से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में प्रक्रियात्मक कमियों को लेकर कई मामलों में कड़ी टिप्पणियां की हैं। धाराओं का गलत इस्तेमाल, सबूतों की कस्टडी की चेन में रुकावट और फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी से अभियोजन पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध और पॉस्को (POCSO) मामलों में हल्की धाराएं लगाने की भी शिकायतें आई हैं, जिससे आरोपी को ज़मानत मिल जाती है। इससे न सिर्फ़ पीड़ित के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि अपराध रोकने का मुहिम भी बेअसर हो जाता है। जांच अधिकारियों में कानूनी जानकारी और प्रक्रियात्मक समझ की कमजोरी इस समस्या को और अधिक बढ़ा देती है।

विधिक ढांचे से जुड़ी चुनौतियां

भारतीय पुलिस आज भी मुख्य रूप से पुलिस एक्ट, 1861 के तहत काम करती है, जो ब्रिटिश काल की देन है। मॉडल पुलिस एक्ट, 2006 पर आधारित राज्य–स्तरीय आधुनिक पुलिस कानून की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस सुधार की दिशा में प्रगति धीमी रही है। एक आधुनिक कानून न केवल पुलिस को ज़्यादा जवाबदेह बनाएगा, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

विधिक विश्लेषण

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, राज्य की यह सकारात्मक ज़िम्मेदारी है कि वह नागरिकों को अपराधिक नक्सलियों से बचाए। उच्चतम न्यायालय ने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न करना या लापरवाही बरतना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। नक्सलियों की रोकथाम सिर्फ़ आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं है; यह मौलिक अधिकारों की रक्षा का एक ज़रिया भी है।

प्रकाश सिंह मामले में जारी निर्देशों का पालन न करना अपने आप में एक कानूनी चुनौती है। इसी तरह, BNSS प्रावधानों का पालन न करने पर पुलिस अधिकारियों को हाई कोर्ट की चेतावनियां यह बताती हैं कि प्रक्रियात्मक अनुशासन कमज़ोर है। जांच में प्रक्रियात्मक गलतियां न केवल आरोपी के अधिकारों को प्रभावित करती हैं, बल्कि पीड़ित को न्याय मिलने में भी बाधा डालती हैं।

सुझाव और सिफारिशें

ऊपर दिए गए विश्लेषण के आधार पर, ये सुझाव दिए जाते हैं:

- नक्सलियों से बचने हेतु पुलिस भर्ती में खाली सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए और पुलिस की व्यवस्था नागरिकों के संख्या अनुपात को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निश्चित किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समय–सीमा के भीतर पूरी होने होनी चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, खासकर राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड के संबंध में।
- BNSS और BNS के प्रावधानों पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, और प्रक्रियात्मक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सभी पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। ताकि नक्सली महिलाओं की रोकथाम में सहायता मिल सके।
- पुलिस को अधिक जवाबदेह, पेशेवर और नागरिक–केंद्रित बनाने के लिए एक आधुनिक राज्य पुलिस अधिनियम बनाया जाना चाहिए।
- पुलिस को स्वयं न्यायालय नहीं हो जाना चाहिए।

उपसंहार

मध्य प्रदेश में नक्सली अपराधियों को रोकने के मामले में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ सिर्फ़ संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका संबंध संस्थागत स्वायत्तता, प्रक्रियात्मक अनुशासन, प्रशिक्षण, सामाजिक भरोसे, सुविधाओं का अभाव और बेहतर शिक्षा की कमी से भी है। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से प्रक्रियात्मक मानक अधिक ऊंचे हुए हैं, जिससे पुलिस की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत की आवश्यकता हो रही है।

नक्सली अपराधियों को रोकना सिर्फ़ पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरी शासन व्यवस्था की ज़िम्मेदारी है। आम जनता का भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है इसके बिना राज्य को चलाना कठिन नहीं बल्कि मुश्किल भी है। अगर पुलिस को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण, स्वायत्तता और जवाबदेही मिले, तो मध्य प्रदेश में अपराध रोकने की स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। कानूनी सुधारों के साथ–साथ प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति भी ज़रूरी है। सिर्फ़ कानून बनाने से समस्या हल नहीं होगी; असल बदलाव तो उन्हें लागू करने और लगातार निगरानी रखने से ही आ सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023.
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023.
3. पुलिस अधिनियम, 1861.
4. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, (2006) 8 SCC 1.

द्वितीयक स्रोत

5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), भारत में अपराध रिपोर्ट (2022–2024).
6. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR-D) की रिपोर्टें.
7. मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 (गृह मंत्रालय).
8. मध्य प्रदेश विधानसभा के रिकॉर्ड और गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े.
9. शोधगंगा पर उपलब्ध संबंधित शोध प्रबंध।

❑❑❑